कार्यालय **जिला उद्यान अधिकारी, टिहरी** के माह जून 2015 से मार्च 2016 तक के अवधि की लेखा अभिलेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य शक्तियां तथा सेवा शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 13 के अधीन सर्व श्री विभाष चंद्र मुखर्जी, एवं प्रदीप कुमार मौर्या, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 18-04-2016 से 27-04-2016 तक श्री जे॰ एम॰ एस॰ रावत, वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण मे संपादित लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन।

यह निरीक्षण आख्या **जिला उद्यान अधिकारी, टिहरी** द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर तैयार की गयी है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गई किसी त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अप्राप्त सूचना के लिये कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

भाग-एक

(अ) परिचयात्मक: इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री मनोज कुमार नेगी एवं श्री राघवेंद्र सिंह सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 17-06-2015 से 22-06-2015 तक में सम्पन्न की गयी थी जिसमें माह अप्रैल 2012 से मई 2015 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी। वर्तमान में माह जून 2015 से मार्च 2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

विगत सम्प्रेक्षा से अब तक निम्नलिखित अधिकारियों ने कार्यालयाध्यक्ष का पदभार संभाले रखा-

1- श्री हितपाल सिंह, जिला उद्यान अधिकारी (12-07-2010 से 16-06-2015)

2- श्री अमर सिंह, जिला उद्यान अधिकारी (08-07-2015 से वर्तमान तक)

(ब) विगत प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरः

क्रम संख्या	वर्ष	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0	भाग 2 अ	भाग 2 ब
1.	2015-16	25/2015-16	-	1,2

(

स) सतत् अनियमिततायें : शून्य।

(द) अप्रस्तुत अभिलेख (कारण सहित): शून्य।

बजटः

1- राज्य सैक्टर और जिला सैक्टर

(धनराशि ` में)

वर्ष	आयोजनागत		आयोजनोत्तर	
	आवंटन	व्यय	आंवटन	व्यय
2013-14	5574471	5574471	57348728	57348728
2014-15	6968378	6968378	60822431	60822431
2015-16	18660866	18660866	66999265	66999265

कुल योग	**31203715**	**31203715**	**185170424**	**185170424**

2- एच॰एम॰एन॰ई॰एच॰/एम॰आई॰डी॰एच॰

(धनराशि ` लाख में)

वर्ष	आवंटन	व्यय
2013-14	115.81	69.30
2014-15	72.40	95.69
2015-16	46.07	95.56
कुल योग	**234.28**	**260.55** [1]

3- राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन (एन॰एम॰एम॰आई॰)

(धनराशि ` में)

वर्ष	आवंटन	व्यय
2013-14	4277745	4277676
2014-15	4906000	4906000
2015-16	0	0
कुल योग	**9183745**	**9183676**

[1] आवंटन से अधिक व्यय विगत वर्षो के अवशेष धनराशि से किया गया है।

भाग-2 (ब)

प्रस्तर-1:- बागवानी मिशन (एच॰एम॰एन॰ई॰एच॰) की विषयक लेखा परीक्षा (Thematic Audit) के अंतर्गत (2013-14 से 2015-16) लेखा परीक्षा प्रेक्षण/पायी गयी अनियमितता/अनियमित वित्तीय सहायता, ` 53500.00।

1- संरक्षित खेती:

विभागीय प्रावधानों के अनुसार पोली हाउस के निर्माण के समय कृषक, फ़र्म, एवं विभाग के मध्य एक त्रिपक्षीय समझौता –पत्र तैयार किया जाना था जिससे विभाग यह सुनिश्चित कर सके कि फ़र्म द्वारा (i)- पोली हाउस के निर्माण से लेकर एक वर्ष तक मुफ्त मरम्मत की वारंटी एवं (ii)- कृषको को परिचालन, मरम्मत एवं पैदावार का तकनीकी ज्ञान प्रदान करने किया जाए। पोली हाउस के निर्माण पर लागत मूल्य[2] की 50% आर्थिक सहायता मात्र उन कृषको को प्रदान किया जाना था जिनके पास कृषि भूमि का स्वामित्व हो। जिला उद्यान अधिकारी टिहरी के अभिलेखो की लेखा परीक्षा जांच (अप्रैल 2016) में पाया गया कि,

- पोली हाउस के निर्माण मे त्रिपक्षीय समझौता –पत्र तैयार नहीं किया जा रहा था। उक्त का अनुपालन न किए जाने के कारण विभाग द्वारा पोली हाउस के निर्माण एवं संचालन को प्रभावी ढंग से लागू करने मे असमर्थ रहें साथ ही शासकीय कार्यों में पारदर्शिता एवं जवाबदेही का अभाव रहा। निदेशक, बागवानी मिशन के द्वारा National Committee on Plasticulture applications in Agriculture and Horticulture (NCPAH) के तकनीकी विशिष्टियों के अनुरूप किसी भी पोली हाउस के निर्माण के समय न तो विभाग के द्वारा और न ही फ़र्म द्वारा पोली हाउस हेतु निर्धारित गुणवत्ता मानको की जांच की गयी।

2- बागवानी मे यान्त्रिकी:

बागवानी विकास मिशन के अंतर्गत यान्त्रिकी के इस्तेमाल का उदेश्य कृषि क्षमता मे वृद्धि और कृषि कार्य मे लगी श्रमशक्ति मे कमी लाना है। इस उद्देश्य को पूर्ण करने हेतु कृषको को मशीनों के क्रय पर राज सहायता का प्रावधान किया गया है। विभागीय प्रावधानों के अनुसार आर्थिक सहायता प्राप्त करने लाभार्थी के नाम कृषि भूमि होनी चाहिए जिसके support मे आवेदन के साथ उद्धरण खतौनी संलग्न किया जाना चाहिए।

जिला उद्यान अधिकारी टिहरी के अभिलेखो की लेखा परीक्षा जांच (अप्रैल 2016) में पाया कि, निम्न कृषको को 3 pump/power sprayer (Self-propelled horticulture machinery) के क्रय हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की गयी थी।

2013-14			
कृषक का नाम	**संबन्धित उद्यान सचल दल केंद्र का नाम**	**यंत्र/ उपकरण**	**विभाग द्वारा प्रदान की गयी राजसहायता) `)**
श्री शरत सिंह S/o श्री हुकुम सिंह	नैन बाग	पावर स्प्रेयर	17500.00
श्री महावीर सिंह S/o श्री जीत सिंह	नैन बाग	पावर स्प्रेयर	8400.00+9100.00
2015-16			

[2] (a) Up to ` 1060/Sqm (for Area up to 500/Sqm), (b) ` 935/sqm (for area from 501 to 1008 Sqm), (c) ` 890 (for Area from 1009 to 2080 Sqm) and (d) ` 844/sqm (for area from 2081 to 4000/Sqm) since 2014-15 prior to it was ` 935 per sqm.

श्री धर्मानंद S/o श्री राम प्रसाद	लंबगाव	मोनो ब्लॉक/ पम्प सेट	18500.00
कुल (3 कृषक)			**53500.00**

लेखा परीक्षा जांच मे पाया गया कि श्री शरत सिंह और श्री महावीर सिंह के आवेदन के साथ संलग्न उद्धरण खतौनी मे उनके नाम शामिल ही नहीं हैं। श्री धर्मानंद S/o श्री राम प्रसाद ग्राम सेरा, प्रताप नगर द्वारा बागवानी मिशन के अंतर्गत फल पौधों में कीटनाशक छिड़काव हेतु Power Sprayer हेतु भी आवेदन किया था जिसे विभाग द्वारा क्रय करने की स्वीकृति (02/2016) प्रदान की गयी। कृषक द्वारा Power Sprayer के स्थान पर Mono Block Pump Set क्रय (`38150.00; दिनांक 09/03/2016), किया गया। विभाग द्वारा स्वीकृति (Power Sprayer) का संज्ञान न रखते हुए संबन्धित कृषक को Mono Block Pump Set के क्रय पर 50% राज-सहायता (Subsidy) ` 18500.00 का भुगतान (03/2016) भी कर दिया गया। जांच मे यह भी पाया गया कि, इसी कृषक को Micro Irrigation Scheme के अंतर्गत ड्रिप प्रणाली की स्थापना हेतु कुल लागत (` 75612) के 60% (50% -GoI share +10% State Govt. Share = `44175.00) की राज सहायता (Subsidy) प्रदान (02/2016) की गयी थी।

इस प्रकार विभागीय प्रावधानों के विरुद्ध ` 53500.00 के अनियमित आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

भाग 2(ब)

प्रस्तर 2:- मानको की अवहेलना कर ` 15.28 लाख की आधिक्य राजसहायता।

जिला उद्यान अधिकारी, नई टिहरी की लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि शासनादेश अप्रैल 2012 के अनुसार पालीहाउस निर्माण को वित्तीय सहायता (राज सहायता) के अनुसार 100 वर्ग मी॰ के पालीहाउस के निर्माण हेतु कुल लागत ` 93520 का 50%(` 46750) भारत सरकार (HMNEH योजना) में, 30% (`28050) राज्य सरकार द्वारा तथा शेष 20% (`18700) कृषक द्वारा व्यवस्था कि जानी थी।

जिला उद्यान अधिकारी, कार्यालय के अभिलेखों (आकस्मिक देयक पंजिका) वर्ष 2014-15 की जाँच में पाया गया कि कार्यालय द्वारा कुल 22 कृषको को ` 21.45 लाख की राज सहायता पालीहाउस मद मे निम्न रूप मे प्रदान की गयी थी।

s.no.	Bill No. Date	No. Of beneficiary	Amount	मद
1.	45/4.3.16	06	585120	राज्य सहायता
2.	61/11.3.16	05	487600	राज्य सहायता
3.	62/11.3.16	05	487600	राज्य सहायता
4.	69/22.3.16	06	584798	राज्य सहायता

उल्लेखनीय है कि उपरोक्त शासनादेश के अंतर्गत एक कृषक को राज्य सहायता के रूप में मात्र ` 28050 का ही भुगतान करना था जिसके अनुसार 22 कृषकों को मात्र 22* `28050=617100 का ही भुगतान करना था जबकि कार्यालय द्वारा वास्तविक रूप से कुल ` 2145118 का भुगतान किया गया अर्थात `1528018 का अधिक भुगतान किया गया, साथ ही अधिक भुगतान के कारण `15,28,108/`28050 =54 कृषक राज सहायता से वंचित रहे।

जिला उद्यान अधिकारी द्वारा बतलाया गया कि केंद्रान्श की धनराशि उपलब्ध न होने एवं कृषकों की संख्या कम होने के कारण कृषकों को 80% भुगतान किया गया। उत्तर मे स्पष्ट है कि उपरोक्त शासनादेश की अवहेलना कर भुगतान किया गया हैं।

प्रकरण उच्चअधिकारीयों के संज्ञान मे लाया जाता हैं।

<u>भाग-तीन</u>

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमिततायें जिनका स्थल पर समाधान नहीं हो सका उनको नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय **जिला उद्यान अधिकारी, टिहरी** को इस आशय के साथ प्रेषित कि उसकी अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के भीतर सीधे उपमहालेखाकार (आर्थिक अनुभाग-II) कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) उत्तराखण्ड वैभव पैलेस इन्दिरा नगर देहरादून को प्रेषित को भेजना सुनिश्चित करेंगें।

Eco. (WAD) AIR No. 32/16-17

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
आर्थिक-II